<u>कृषि ऋण माफी और राहत योजना, 2008</u>

1. भूमिका

1.1 वर्ष 2008-09 के अपने बजट भाषण में वित्तमंत्री महोदय ने किसानों के लिए ऋण माफी और राहत योजना की घोषणा की.

1.2 योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश नीचे दिए जा रहे हैं.

2. योजना का दायरा

2.1 इस योजना में, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी ऋण संस्थाओं (शहरी सहकारी बैंकों सहित) और लोकल एरिया बैंकों द्वारा दिशानिर्देशों में यथानिर्दिष्ट रूप से लघु और सीमांत किसानों और अन्य किसानों को दिए गए प्रत्यक्ष कृषि ऋण शामिल होंगे.

2.2 यह योजना तत्काल प्रभाव से लागू होगी.

3. परिभाषाएँ

3.1 ***'प्रत्यक्ष कृषि ऋण'*** से तात्पर्य है कृषि कार्यों के लिए सीधे किसानों को दिए गए अल्पावधि उत्पादन ऋण और निवेश ऋण. सीधे किसानों के समूहों (उदाहरण के लिए स्वयं सहायता समूह और संयुक्त देयता समूह) (जिन्हें आगे संक्षिप्त रूप में 'ऋणदाता संस्थाएँ' कहा जाएगा) को दिए गए अल्पावधि उत्पादन ऋण और निवेश ऋण भी इसमें शामिल किए जाएँगे बशर्ते बैंक उस समूह के प्रत्येक किसान को दिए गए ऋण के अलग-अलग आँकड़े रखें.

3.2 ***'अल्पावधि उत्पादन ऋण'*** से तात्पर्य है फसलोत्पादन के लिए दिया गया ऋण जिसकी चुकौती 18 महीने में की जानी अपेक्षित है. इसमें बागान और बागवानी फसलों के पारंपरिक और गैर-पारंपरिक उत्पादन के लिए अधिकतम एक लाख रुपए तक का कार्यशील पूँजी ऋण भी शामिल है.

3.3 ***'निवेश ऋण'*** से तात्पर्य है

(क) प्रत्यक्ष कृषि कार्यकलापों के लिए दिया जाने वाला निवेश ऋण जो क्षरित होने वाली परिसंपत्तियों के रखरखाव और उन्हें बदलने, तथा भूमि की उपज बढ़ाने के लिए किए गए पूँजी निवेश, जैसे कुँओं

को गहरा करने, नए कुँए खोदने, पंपसेट स्थापित करने, ट्रेक्टर / बैल खरीदने और भूमि विकास में होने वाले व्यय वहन करने के लिए दिया जाता है; तथा पारंपरिक और गैर-पारंपरिक बागान और बागवानी फसलों के उत्पादन हेतु दिया जाने वाला मीयादी ऋण.

(ख) संबद्ध कार्यकलापों के लिए दिया जाने वाला निवेश ऋण जो कृषि से संबद्ध कार्यकलापों हेतु परिसंपत्तियाँ अर्जित करने के लिए दिया जाता है, जैसे डेरी, मुर्गी पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, सूअर पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, ग्रीन हाउस निर्माण और बायो गैस उत्पादन.

3.4 ***'सहकारी ऋण संस्था'*** से तात्पर्य है ऐसी सहकारी समिति जो

i) किसानों को अल्पावधि फसल ऋण उपलब्ध कराती है और केंद्र सरकार से ब्याज दर में छूट (सब्वेंशन) की पात्र है; या

ii) भारत सरकार या नाबार्ड के विनियमन या पर्यवेक्षण के तहत बैंकिंग कार्यकलाप संचालित करती है; या

iii) किसी राज्य या संघ शासित क्षेत्र में अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना या दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना का भाग है.

3.5 ***'सीमांत किसान'*** से तात्पर्य है एक हेक्टेयर (2.5 एकड़) भूमि पर खेती (मालिक के रूप में अथवा भाड़े पर या बटाई पर) करने वाला किसान.

3.6 ***'लघु किसान'*** से तात्पर्य है एक हेक्टेयर से दो हेक्टेयर (5 एकड़) तक की भूमि पर खेती (मालिक के रूप में अथवा भाड़े पर या बटाई पर) करने वाला किसान.

3.7 ***'अन्य किसान'*** से तात्पर्य है दो हेक्टेयर (5 एकड़) से अधिक की भूमि पर खेती (मालिक के रूप में अथवा भाड़े पर या बटाई पर) करने वाला किसान.

स्पष्टीकरण :

1. इस योजना के तहत उपर्युक्त भूजोत मानदंड के आधार पर पात्र किसानों का वर्गीकरण ऋण की मंजूरी के समय व्यक्तिशः अथवा संयुक्त रूप से स्वामित्व या दखल में आने वाली कुल भूमि

(मालिक-किसान के मामले में), या किसान द्वारा जोती गई कुल भूमि (भाड़े पर अथवा बटाई पर खेती करने वाले किसान के मामले में) के आधार पर किया जाएगा. मंजूरी के बाद स्वामित्व या दखल में होने वाले किसी परिवर्तन का इस पर कोई असर नहीं होगा.

2. एक से अधिक किसानों द्वारा अपनी भूजोत को मिलाकर ऋण लेने के मामले में किसानों के वर्गीकरण (लघु या सीमांत या अन्य किसान के रूप में) का आधार उस समूह की सबसे बड़ी भूजोत के आकार को बनाया जाएगा.

3. ऐसे किसान को, जिसने संबद्ध कार्यकलापों के लिए निवेश ऋण लिया है और मूल ऋण राशि रु. 50,000/- से अधिक नहीं है, 'लघु और सीमांत किसान' माना जाएगा और जिसकी मूल ऋण राशि रु. 50,000/- से अधिक है, उस किसान को 'अन्य किसान' माना जाएगा. दोनों ही मामलों में भूजोत, यदि कोई हो तो, के आकार पर विचार नहीं किया जाएगा.

4. किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत लिए गए प्रत्यक्ष कृषि ऋण भी, इस योजना के दिशानिर्देशों के तहत इसमें शामिल किए जाने के पात्र होंगे.

5. किसान द्वारा लिए अल्पावधि उत्पादन ऋण और निवेश ऋण को दो अलग-अलग ऋण माना जाए और यह योजना उन दो ऋणों के लिए अलग-अलग रूप में लागू होगी. इसी प्रकार, जिस किसान ने दो अलग-अलग प्रयोजनों के लिए दो निवेश ऋण लिए हैं उन दो ऋणों को अलग-अलग ऋण माना जाए और यह योजना उन दोनों ऋणों के लिए अलग-अलग रूप में लागू होगी.

4. पात्र राशि

4.1 ऋण माफी या ऋण राहत के लिए पात्र राशि (आगे इसे 'पात्र राशि' कहा जाएगा), जैसा भी मामला हो, में निम्नलिखित बातें शामिल होंगी :

(क) अल्पावधि उत्पादन ऋण के मामले में, ऐसे ऋण की राशि (लागू ब्याज सहित) जो

(i) 31 मार्च 2007 तक संवितरित की गई हो और 31 दिसंबर 2007 को अतिदेय हो और 29 फरवरी 2008 तक जिसका भुगतान नहीं हुआ हो;

(ii) 2004 में और 2006 में भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेज के माध्यम से जिसे पुनःसंरचित और पुनःअनुसूचीकृत किया गया हो, चाहे वह अतिदेय हो या नहीं; और

(iii) प्राकृतिक आपदाओं के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रयोज्य मार्गनिर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2007 तक सामान्य तौर पर पुनःसंरचित और पुनःअनुसूचीकृत किया गया हो, चाहे वह अतिदेय हो या नहीं.

(ख) निवेश ऋण के मामले में ऐसे ऋणों के किस्तें जो अतिदेय (किस्तों पर प्रयोज्य ब्याज सहित) जो अतिदेय हों, यदि ऋण

(i) 31 मार्च 2007 तक संवितरित किया गया हो और 31 दिसंबर 2007 को अतिदेय हो और 29 फरवरी 2008 तक जिसका भुगतान नहीं हुआ हो;

(ii) 2004 में और 2006 में भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेज के माध्यम से जिसे पुनःसंरचित और पुनःअनुसूचीकृत किया गया हो, चाहे वह अतिदेय हो या नहीं; और

(iii) प्राकृतिक आपदाओं के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रयोज्य मार्गनिर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2007 तक सामान्य तौर पर पुनःसंरचित और पुनःअनुसूचीकृत किया गया हो, चाहे वह अतिदेय हो या नहीं.

स्पष्टीकरण : 31 मार्च 2007 तक संवितरित और अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत निवेश ऋण के मामले में या ऐसे खाते के मामले में जिसमें वाद दायर किया गया हो, केवल उन्हीं किस्तों की राशि पात्र राशि होगी जो 31 दिसंबर 2007 को अतिदेय रहे हों.

4.2 निम्नलिखित ऋण पात्र राशि में शामिल नहीं किए जाएँगे :

(क) खड़ी फसल से इतर कृषि उत्पाद को बंधक या दृष्टिबंधक रखकर लिए गए अग्रिम; और

(ख) सहकारी ऋण संस्थाओं (पैरा 34 में उल्लिखित) और समान प्रकार की अन्य संस्था से भिन्न किसी कंपनी, साझेदारी फर्म, समितियों को प्रदत्त ऋण.

4.3 इस योजना में निहित कोई बात किसी संस्था द्वारा 31 मार्च 1997 से पहले संवितरित ऋण पर लागू नहीं होगी.

5. ऋण माफी

5.1 लघु और सीमांत किसान के मामले में सम्पूर्ण 'पात्र राशि' की माफी की जाएगी.

6. ऋण राहत

6.1 'अन्य किसानों' के मामले में एक बारगी निपटान योजना (ओटीएस) होगी, जिसके अंतर्गत किसान को इस शर्त के अधीन 'पात्र राशि' के 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी कि वह 'पात्र राशि' के शेष 75 प्रतिशत का भुगतान कर दे.

परन्तु यह कि **अनुबंध-I** में सूचीबद्ध राजस्व जिलों के मामले में 'अन्य किसानों' को 'पात्र राशि' के 25 प्रतिशत या रु.20,000, **इसमें जो भी अधिक हो**, की छूट इस शर्त के अधीन दी जाएगी कि किसान 'पात्र राशि' की शेष राशि का भुगतान कर दे.

7. कार्यान्वयन

7.1 इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी ऋण संस्थाओं, शहरी सहकारी बैंकों और लोकल एरिया बैंकों की प्रत्येक शाखा दो सूचियाँ तैयार करेगी जिसमें से एक ऋण माफी के लिए पात्र 'लघु और सीमांत किसानों' की होगी और दूसरी इस योजना के अंतर्गत ऋण राहत के लिए पात्र 'अन्य किसानों' की होगी. इन सूचियों में प्रत्येक मामले में भूमि की जोत, पात्र राशि और प्रस्तावित ऋण माफी या ऋण राहत राशि से संबंधित विवरण शामिल किया जाएगा. ये सूचियाँ बैंक / समिति के नोटिस बोर्ड पर 30 जून 2008 को या उससे पहले प्रदर्शित की जाएँगी.

7.2 'लघु किसान' या 'सीमांत किसान' के रूप में वर्गीकृत किसान माफ की जा रही 'पात्र राशि' पर नए कृषि ऋण के लिए पात्र होगा.

7.3 एक बारगी निपटान के अंतर्गत राहत के लिए पात्र 'अन्य किसान' के रूप में वर्गीकृत अन्य किसान इस आशय का एक वचन-पत्र देगा कि वह अधिकतम तीन किस्तों में अपने हिस्से (अर्थात पात्र राशि में ओटीएस राहत की राशि घटाने के बाद बची राशि) का भुगतान करने को सहमत है और पहली दो किस्तें

उसके हिस्से के एक-तिहाई से कम राशि की नहीं होंगी. तीनों किस्तों के भुगतान की आखिरी तारीखें क्रमशः 30 सितम्बर 2008, 31 मार्च 2009, और 30 जून 2009 होंगी.

7.4 वचन-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक / नाबार्ड द्वारा निर्धारित रूप में होगा.

7.5 एक बारगी निपटान के अंतर्गत राहत की राशि (अर्थात केन्द्र सरकार का हिस्सा) 'अन्य किसान' के खाते में उसके द्वारा अपने हिस्से का पूर्ण भुगतान कर देने के बाद जमा की जाएगी.

7.6 अल्पावधि उत्पादन ऋण के मामले में 'अन्य किसान' अपने हिस्से के एक-तिहाई का भुगतान करने के बाद नए अल्पावधि उत्पादन ऋण के लिए पात्र होगा.

7.7 निवेश ऋण (प्रत्यक्ष कृषि कार्यों या सहबद्ध कार्यों के लिए) के मामले में 'अन्य किसान' अपने हिस्से का पूर्ण भुगतान करने के बाद नए निवेश ऋण के लिए पात्र होगा.

7.8 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों और लोकल एरिया बैंकों के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक, योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होगा. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी ऋण संस्थाओं के मामले में नाबार्ड नोडल एजेंसी होगा.

8. ब्याज और अन्य प्रभार

8.1 ऋणदाता संस्थाएँ 29 फरवरी 2008 के बाद की किसी अवधि के लिए 'पात्र राशि' पर कोई ब्याज प्रभारित नहीं करेंगी. किन्तु, 'अन्य किसान' के मामले में, जो 30 जून 2009 को उसके पहले पात्र राशि के अपने हिस्से के भुगतान में चूक करता है और एक-बारगी निपटान के अंतर्गत राहत के लिए अपात्र हो जाता है, बैंक 30 जून 2009 के बाद की अवधि के लिए ब्याज प्रभारित कर सकता है.

8.2 31.12.2007 के बाद अतिदेय हो जाने वाली निवेश ऋण की किस्त की वसूली ऋणदाता संस्थाओं द्वारा, ब्याज के साथ की जाएगी. किन्तु, ऋण देने वाली संस्थाएँ, उपयुक्त मामलों में संबंधित ऋणदाता संस्था की सामान्य नीति के अनुसार इन किस्तों का पुनःअनुसूचीकरण कर सकती हैं.

8.3 इस योजना में किसी बात के होते हुए भी, इस योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार से प्रतिपूर्ति के लिए किसी ऋणदाता संस्था द्वारा दावा की जा सकने वाली ब्याज की राशि किसी भी मामले में ऋण की मूल राशि से अधिक नहीं होगी.

8.4 वित्त मंत्रालय सभी प्रासंगिक और संबद्ध मामलों में ऋणदाता संस्थाओं को अनुपूरक अनुदेश जारी करेगा जिनमें ऐसे ब्याज और अन्य प्रभारों के संबंध में अनुदेश शामिल होंगे जिनका दावा ऋणदाता संस्था द्वारा किसान या केन्द्र सरकार से नहीं किया जाएगा.

9. ऋण माफी या ऋण राहत का प्रमाण-पत्र

9.1 लघु और सीमांत किसानों के मामले में, पात्र राशि की माफी के बाद ऋणदाता संस्था इस आशय का एक प्रमाण-पत्र जारी करेगी कि ऋण माफ कर दिया गया है और उसमें माफ की गयी पात्र राशि का स्पष्ट उल्लेख करेगी.

9.2 'अन्य किसानों' के मामले में एक-बारगी निपटान के अंतर्गत राहत की मंजूरी के बाद ऋणदाता संस्था इस आशय का एक प्रमाण-पत्र जारी करेगी कि ऋणदाता संस्था की संतुष्टि के स्तर तक ऋण खाते का निपटान कर दिया गया है और प्रमाण-पत्र में पात्र राशि, किसान द्वारा उसके अपने हिस्से की भुगतान की गयी राशि और एक-बारगी निपटान के अंतर्गत राहत की राशि का स्पष्ट उल्लेख होगा.

9.3 प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक / नाबार्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप में होगा और ऋण देने वाली संस्था प्रमाण-पत्र जारी करने पर कृषक से पावती लेगी.

10. ऋण देने वाली संस्था के दायित्व

10.1 ऋण देने वाली प्रत्येक संस्था इस योजना के अधीन पात्र कृषकों की सूची तथा प्रत्येक किसान के संबंध में ऋण माफी अथवा ऋण राहत के विवरणों की सत्यता और विश्वसनीयता के लिए जिम्मेदार होगी. ऋण देने वाली संस्था द्वारा इस योजना के उद्देश्य से अनुरक्षित प्रत्येक प्रलेख, तैयार की गई प्रत्येक सूची और जारी किए जाने वाले प्रत्येक प्रमाण-पत्र पर ऋण देने वाली संस्था के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं उसका पदनाम होना चाहिए.

10.2 प्रत्येक ऋण देने वाली संस्था प्रत्येक राज्य हेतु (राज्य में शाखाओं की संख्या को देखते हुए) एक अथवा एक से अधिक परिवेदना निवारण अधिकारी / अधिकारियों की नियुक्ति करेगी. संबंधित परिवेदना निवारण अधिकारी का नाम और पता ऋण देने वाली संस्था की प्रत्येक शाखा में प्रदर्शित किया जाएगा.

परिवेदना निवारण अधिकारी को असंतुष्ट किसान से अभ्यावेदन प्राप्त करने और उस पर समुचित आदेश पारित करने का अधिकार होगा. परिवेदना निवारण अधिकारी के आदेश अंतिम होंगे.

10.3 यदि कोई कृषक इस बात से असंतुष्ट है कि उसका नाम पैराग्राफ 7.1 में संदर्भित दोनों सूचियों में से किसी में भी नहीं है अथवा उसका नाम गलत सूची में शामिल किया गया है अथवा उसे मंजूर राहत की गणना गलत ढंग से की गई है तो वह उस शाखा को अभ्यावेदन दे सकता है जिससे उसने ऋण लिया है. अथवा संबंधित ऋण देने वाली संस्था के परिवेदना निवारण अधिकारी को वह सीधे ही अभ्यावेदन दे सकता है और ऐसे प्रत्येक अभ्यावेदन का निपटान अभ्यावेदन प्राप्त होने के दिनांक से 30 दिनों के भीतर करना होगा.

11. लेखापरीक्षा

प्रत्येक ऋण देने वाली संस्था जिसने इस योजना के अधीन ऋण माफी अथवा ऋण राहत दी है, उसकी लेखा बहियाँ (शाखाओं के स्तर पर अनुरक्षित लेखा बहियों सहित) भारतीय रिज़र्व बैंक / नाबार्ड द्वारा निर्धारित कार्यविधि के अनुरूप लेखापरीक्षा के अधीन होंगी. लेखापरीक्षा भारतीय रिज़र्व बैंक / नाबार्ड के निर्देशों के अनुसार संगामी लेखापरीक्षकों, सांविधिक लेखापरीक्षकों या विशेष लेखापरीक्षकों द्वारा की जाएगी. यदि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा करना आवश्यक है तो वह किसी ऋणदाता संस्था के मामले में या उसकी किसी एक या अधिक शाखाओं की विशेष लेखापरीक्षा के निर्देश दे सकती है.

12. प्रचार-प्रसार

12.1 इस योजना में शामिल प्रत्येक ऋण देने वाली संस्था की प्रत्येक शाखा में इस योजना की एक प्रति अंग्रेजी और राजभाषा या राज्य / संघ शासित क्षेत्र की भाषा में प्रदर्शित की जाएगी.

12.2 इस योजना की एक प्रति वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक और नाबार्ड की वेबसाइटों पर उपलब्ध रहेगी.

13. व्याख्या और कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

13.1 इस योजना के किसी पैराग्राफ या इस योजना के अंतर्गत जारी किसी अनुदेश की व्याख्या करने में यदि कोई संदेह होता है, तो केन्द्र सरकार द्वारा संदेह का समाधान किया जाएगा और इस संबंध में केन्द्र सरकार का निर्णय अंतिम होगा.

13.2 यदि योजना के प्रावधानों या इस योजना के अंतर्गत जारी किसी अनुदेश को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई आती है, तो केन्द्र सरकार कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन से, उसे जो भी आवश्यक या तत्काल अपेक्षित प्रतीत होगा उसके अनुसार आदेश जारी करेगी.

14. अनुप्रवर्तन

योजना के कार्यान्वयन के अनुप्रवर्तन के लिए एक राष्ट्र स्तरीय अनुप्रवर्तन समिति का गठन किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी शामिल होंगे :

(i) सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय - अध्यक्ष

(ii) सचिव, कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय

(iii) उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

(iv) अध्यक्ष, नाबार्ड

(v) दो सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

(vi) दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अध्यक्ष; और

(vii) दो राज्य स्तरीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशक

अनुबंध I (दिशानिर्देशों से संबंधित)

डीपीएपी, डीडीपी क्षेत्रों के राजस्व जिले और प्रधानमंत्री विशेष राहत पैकेज जिले

राज्य	क्र.स.	डीपीएपी, डीडीपी क्षेत्रों के राजस्व जिले और प्रधानमंत्री विशेष राहत पैकेज जिले	
आंध्र प्रदेश	1	1	आदिलाबाद
	2	2	चित्तूर
	3	3	कडप्पा
	4	4	खम्मम
	5	5	कूरनूल
	6	6	मेदक
	7	7	महबूबनगर
	8	8	नलगोंडा
	9	9	प्रकासम
	10	10	रंगारेड्डी
	11	11	श्रीकाकूलम
	12	12	अनंतपुर
	13	13	वारंगल
	14	14	गुंटूर
	15	15	करीमनगर
	16	16	नेल्लूर
	17	17	निजामाबाद
बिहार	18	1	भभुआ
	19	2	जमुइ
	20	3	मधुबनी
	21	4	नवादा
	22	5	रोहतास
	23	6	सीतामढ़ी
छत्तीसगढ़	24	1	बस्तर
	25	2	बिलासपुर
	26	3	दंतेवाड़ा
	27	4	दुर्ग
	28	5	जांजगीर-चंपा
	29	6	कबरीधाम

	30	7	कोरबा
	31	8	राजनादगांव
गुजरात	32	1	अहमदाबाद
	33	2	अमरेली
	34	3	भरूच
	35	4	भावनगर
	36	5	दाहोद
	37	6	डांग
	38	7	जूनागढ़
	39	8	नर्मदा
	40	9	नवसारी
	41	10	पंचमहाल
	42	11	पोरबंदर
	43	12	साबरकांठा
	44	13	बडोदरा
	45	14	वलसाड
	46	15	बनासकांठा
	47	16	जामनगर
	48	17	कच्छ
	49	18	पाटण
	50	19	राजकोट
	51	20	सुरेन्द्रनगर
हरियाणा	52	1	भिवानी
	53	2	फतेहाबाद
	54	3	हिसार
	55	4	झज्झर
	56	5	महेन्द्रगढ़
	57	6	रिवाडी
	58	7	सिरसा
हिमाचल प्रदेश	59	1	बिलासपुर
	60	2	सोलन
	61	3	उना
	62	4	किन्नौर
	63	5	लाहोल और स्पिती

जम्मू और कश्मीर	64	1	डोडा
	65	2	उधमपुर
	66	3	रामबन
	67	4	किस्तवार
	68	5	रेसी
	69	6	कारगिल
	70	7	लेह
झारखंड	71	1	बोकारो
	72	2	चतरा
	73	3	देवघर
	74	4	धनबाद
	75	5	दुमका
	76	6	गढ़वा
	77	7	गोड्डा
	78	8	हजारीबाग
	79	9	जामतारा
	80	10	कोडरमा
	81	11	लातेहार
	82	12	पकुर
	83	13	पलामू
	84	14	साहेबगंज
कर्नाटक	85	1	बेंगलूरु ग्रामीण
	86	2	बेलगाँव
	87	3	बीदर
	88	4	चामराज नगर
	89	5	चिकमगलूर
	90	6	चित्रदुर्ग
	91	7	दावणगेरे
	92	8	धारवाड
	93	9	गडाग
	94	10	गुलबर्गा
	95	11	हासन
	96	12	हावेरी
	97	13	कोलार
	98	14	मैसूर
	99	15	टुमकूर

	100	16	कोडागू
	101	17	शिमगा
	102	18	बागलकोट
	103	19	बेल्लारी
	104	20	बिजापुर
	105	21	दावणगेरे
	106	22	कोप्पल
	107	23	रायचूर
केरल	108	1	वायनाड
	109	2	पलक्कड
	110	3	कासारगोड
मध्य प्रदेश	111	1	बरवानी
	112	2	बेतूल
	113	3	भिंड
	114	4	छिंदवाडा
	115	5	दमोह
	116	6	देवास
	117	7	धार
	118	8	गुना
	119	9	जबलपुर
	120	10	झाबुवा
	121	11	खंडवा
	122	12	खरगोन
	123	13	पन्ना
	124	14	रायसेन
	125	15	राजगढ़
	126	16	रतलाम
	127	17	रीवाँ
	128	18	शहडोल
	129	19	शाजापुर
	130	20	शिवपुरी
	131	21	सीधी
	132	22	सिवनी
	133	23	उमरियाँ
	134	24	अशोकनगर
	135	25	अनूपपुर

महाराष्ट्र	136	1	अहमदनगर
	137	2	अकोला
	138	3	अमरावती
	139	4	औरंगाबाद
	140	5	बीड
	141	6	बुलढाना
	142	7	चंद्रपुर
	143	8	धुळे
	144	9	गडचिरोली
	145	10	हिंगोली
	146	11	जलगाँव
	147	12	जालना
	148	13	लातूर
	149	14	नागपुर
	150	15	नांदेड
	151	16	नंदुरबार
	152	17	नासिक
	153	18	उस्मानाबाद
	154	19	परभणी
	155	20	पुणे
	156	21	सांगली
	157	22	सातारा
	158	23	शोलापुर
	159	24	वासिम
	160	25	यवतमाळ
	161	26	वर्धा
उड़ीसा	162	1	बरगढ
	163	2	बलांगीर
	164	3	बौद्ध
	165	4	ढेंकनाल
	166	5	कालाहांडी
	167	6	नुआपारा
	168	7	सोनपुर
	169	8	फुलबनी
राजस्थान	170	1	अजमेर

	171	2	बाँसवाड़ा
	172	3	बारन
	173	4	भरतपुर
	174	5	डुंगरपुर
	175	6	झालावाड़
	176	7	करौली
	177	8	कोटा
	178	9	सवाई माधवपुर
	179	10	टोंक
	180	11	उदयपुर
	181	12	बाडमेर
	182	13	बिकानेर
	183	14	चुरू
	184	15	हनुमानगढ़
	185	16	जयपुर
	186	17	जैसलमेर
	187	18	जालोर
	188	19	झुझनूं
	189	20	जोधपुर
	190	21	नागौर
	191	22	पाली
	192	23	राजसमद
	193	24	सीकर
	194	25	सिरोही
तमिलनाडु	195	1	कोयम्बतूर
	196	2	धरमपुर
	197	3	डिंडीगल
	198	4	करूर
	199	5	कृष्णगिरी
	200	6	नमक्कल
	201	7	पेरांबलूर
	202	8	पुडुकोट्टायी
	203	9	रामनाथपुरम
	204	10	सेलम
	205	11	शिवगंगा
	206	12	तिरुचिरापल्ली
	207	13	तिरुनेलवेली

	208	14	तिरुवनमलाई
	209	15	तुतुकुडी
	210	16	वेल्लोर
	211	17	विरुदुनगर
उत्तर प्रदेश	212	1	इलाहाबाद
	213	2	बहराइच
	214	3	बलरामपुर
	215	4	बाँधा
	216	5	चित्रकूट
	217	6	हमीरपुर
	218	7	जालौन
	219	8	झाँसी
	220	9	लखीमपुर खीरी
	221	10	ललितपुर
	222	11	महोबा
	223	12	मिर्जापुर
	224	13	श्रावस्ती
	225	14	सीतापुर
	226	15	सोनभद्र
उत्तराखंड	227	1	अलमोड़ा
	228	2	बागेश्वर
	229	3	चमोली
	230	4	चंपावत
	231	5	पौड़ी गढ़वाल
	232	6	पिथौरागढ़
	233	7	टेहरी गढ़वाल
पश्चिम बंगाल	234	1	बांकुरा
	235	2	बीरभूम
	236	3	मीदनापुर पश्चिम
	237	4	पुरुलिया
जिलों की कुल संख्या			**237 जिले**

(दायित्वमुक्ति की घोषणा : इस दिशानिर्देश (हिंदी पाठ) के आशय के संबंध में किसी तरह के संदेह/ विवाद की स्थिति में मूल अंग्रेजी पाठ के आधार पर उसका निपटारा किया जाएगा.)